

प्रेषक,

जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी  
जौनपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक  
जे०पी० इण्टर नेशनल स्कूल,  
सुजानगंज, जौनपुर।

पत्रांक/मान्यता/

8097

/2021-22 दिनांक 30-12-21

विषय: नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 18 के उप नियम (4) के अधीन अर्धजी माध्यम विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र- महोदय,

जांच अधिकारी/सम्बन्धित जल्ल शिक्षा अधिकारी की आख्या/संरक्षित तथा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वैशिक) पंचम मण्डल चारणरी के अनुमोदनोपरांत 30.11.2021 शासन, लखनऊ शिक्षा अनुभाग-6 आवेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08 मई 2013 के द्वारा गठित समिति के निर्णय दिनांक 30.11.2021 के अनुक्रम में आप के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्पत्ती पत्राचार/निर्णय के प्रतिनिर्देश जे०पी० इण्टर नेशनल स्कूल, सुजानगंज, जौनपुर को 30.12.2021 से 29.12.2021 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की समझौता चैता है। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात् मान्यता/संरक्षण करने के लिए कोई बाध्यता विनियमित नहीं है।
2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और नि:शुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपाबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 01 में (या यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविद्या विहित बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय की अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए एक पृथक बैंक खाता रहेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैंपिटेसन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कैनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों को पालन करेगा, विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
  - प्रवेश दिये गये किसी भी पालन को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसके विद्यालय में निष्काशित नहीं किया जायेगा।
  - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
  - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 26 के अधीन अधिकशिक्षित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शुल्कता अर्हता/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
  - अध्यापकों की भर्ती की अधिनियम की धारा 23 (1) अधीन यथा अधिकशिक्षित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और की विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेंगे।
  - अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
  - अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन-किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकशिक्षित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाये निम्नानुसार है-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल।

कुल निर्मित क्षेत्रफल।

क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल।

कक्षाओं की संख्या।

प्राध्यापक-सह कार्यालय, सह भंडारागार के लिए कक्षा।

बालकों और बालिकाओं के पृथक शौचालय।


पेय जल सुविधा।

गीड-डे-गील पकाने के लिए रसोई।

बाधा रहित पहुंच।


अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरणों/परतकालय की उपलब्धता।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाओं और नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास योजनाओं के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1980 (1980 को 21 ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्सम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याया द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह का समूह किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चाटर्ड एकाउंटेंट द्वारा रांगरीक्षा की जानी चाहिए। और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आप के विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक  $x$  है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समूचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिए अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के शतत अनुपालन सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किया जाएगा।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
17. संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध तन्त्र द्वारा प्रस्तुत पत्रजात/अभिलेख किसी भी स्तर पर कूट रचित अथवा फर्जी अथवा दूषित पाये जाने पर नियमानुसार मान्यता प्रत्याहसित करने की कार्यवाही की जाएगी।
19. विद्यालय संचालन में आने वाला व्यय विद्यालय प्रबन्ध तंत्र द्वारा अपने निजी खर्चों से बाह्य किया जायेगा।

  
 (राजेन्द्र सिंह)  
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
 जौनपुर।

पृ०सं०/मान्यता/ 8097 /2021-22 दिनांक-उत्तततत।  
 प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद।
2. गण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम गण्डल वाराणसी।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड/नगर क्षेत्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप विद्यालय का पुनः निरीक्षण कर ले और पूर्ण रूपेण'संस्तुष्ट हो ले कि विद्यालय भवन नेशनल विल्डिंग कोड के मानक के अनुसार निर्मित है। और राक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय भवन के नेशनल विल्डिंग कोड के अनुसार निर्मित होने का प्रमाण पत्र के निर्गत होने की पुष्टि कर ले, विद्यालय में स्थापित अग्निशमन यंत्र कियाशील तथा शासनादेश दिनांक 08.05.2013 के द्वारा निर्धारित मानको की पूर्ति करता है, अन्यथा कि स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर अधोहरताक्षरी को अवगत कराये।
4. कार्यालय प्रति।

  
 (राजेन्द्र सिंह)  
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
 जौनपुर